न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 54/2018 (राजसमन्द डिकी)

1. केसरसिंह पिता उदयसिंह, जाति बल्ला राजपूत, निवासी लेवों का गुड़ा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सज्जनसिंह पिता केसरसिंह, जाति बल्ला राजपूत, निवासी लेवों का गुड़ा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती गेहरी कुंवर पत्नी रोड़सिंह, जाति बल्ला राजपूत, निवासी लेवों का गुड़ा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी हीरसिंह, जाति बल्ला राजपूत, निवासी लेवों का गुड़ा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी उदयसिंह, जाति बल्ला राजपूत, निवासी लेवों का गुड़ा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0
काश्त.अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़
दिनांक 11.05.2018 प्र.सं. 5/16

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाशक अपीलान्टगण
2. रेस्पान्डेन्टगण अनुपस्थित

———:::———

निर्णय दिनांक

21—05—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत

कर निवेदन किया कि वाद पत्र की परिशिष्ठ ''अ'' में अंकित आराजी नंबर 58, 60, 120, 122, 127 व 129 कुल किता 6 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि होकर ग्राम थोरिया में स्थित है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमियों में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी उनके द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है। अतः प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 11–05–2018 को लोक अदालत में रखा जाकर वादी अधिवक्ता की बहस वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/ प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–09–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में दिनांक 18–01–2018 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है, जो विधि विरूद्ध है। अनुपस्थिति का पर्याप्त एवं उचित कारण है, क्योंकि अधिवक्ता नियुक्त होने से पक्षकार को प्रत्येक पेशी पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि राजस्व कैम्प में दिनांक 11–05–2018 को प्रकरण रखे जाने की सूचना अपीलान्ट/पतिवादीगण को हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर

है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों व लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि प्रकरण सीधे ही दिनांक 11—05—2018 को राजस्व लोक अदालत में नियत कर दिया गया, जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है। राजस्व लाक अदालत में प्रकरण आपसी सहमति से होने से रखा जाता है, जबकि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि दिनांक 07—11—2016 की आदेशिका अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 13—04—2016 को अधिवक्ता जसवन्तसिंह का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ है तथा उसके बाद 5 पेशियों में पीठासीन अधिकारी अवकाश अथवा अन्य कार्य में व्यस्त रहने से सिर्फ न्यायालय की छाप लगी हुई है तथा आगामी पेशी दिनांक 18—01—2018 को प्रतिवादी अधिवक्ता की अनुपस्थिति लिखते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है तथा उनकी अनुपस्थिति में बिना अपीलान्टगण को सुने निर्णय पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11—05—2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22—07—2019 को उपचस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............
उदयपुर.............

व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....
....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बनाम दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा
बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी
नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य
बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.......47/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........कुम्भलगढ़.......... मुकाम..............मुवर्खे.............18...............माह..............
07............2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........13....माह........03.......सन् 2019 रूबरू........
पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........13......माह.......03...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।